

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1950

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अप द्वारा रोजगार सृजन

1950. श्री अ. मनि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्ट-अप द्वारा सृजित नौकरियों का विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्यवार ऐसे कितने प्रतिशत स्टार्ट-अप सफल रहे हैं जिन्होंने रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है;
- (ग) क्या सरकार ने रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है तथा रोजगार पर राज्यवार उनका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

दिनांक 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को "स्टार्टअप" के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 जनवरी 2025 तक, डीपीआईआईटी द्वारा देशभर में 1,61,150 कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने 17.69 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन संसूचित किया है, जिसमें पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में 14.11 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का

सृजन शामिल है।

31 जनवरी, 2025 तक, डीपीआईआईटी द्वारा तमिलनाडु राज्य में 10,814 कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने 1.13 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन संसूचित किया है, जिसमें पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में 94,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन शामिल है।

31 जनवरी, 2025 तक, डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा, डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कंपनियों द्वारा पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में तमिलनाडु राज्य सहित सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों (स्व-संसूचित) की संख्या का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए तथा रोजगार सृजन के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर विभिन्न प्रयास करती है।

प्रमुख स्कीमों, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ के रूप में ईकोसिस्टम पहलों को भी प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग करने के लिए वाईब्रेंट प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम बनाने संबंधी पहलें भी शुरू की गई हैं, जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में भी सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर, संसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम के अंतर्गत सहयोग को सक्षम बनाते हैं। सरकार मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार संपर्कों में

सहायता और निवेशक कनेक्ट के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए कॉरपोरेट संगठनों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इन उपायों को, विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, 31 जनवरी 2025 तक डीपीआईआईटी द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों ने 17.69 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन संसूचित किया है। 31 जनवरी 2025 तक डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों (स्व-संसूचित) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध- I

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1950 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी 2025 तक डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71
आंध्र प्रदेश	2,639
अरुणाचल प्रदेश	55
असम	1,514
बिहार	3,286
चंडीगढ़	539
छत्तीसगढ़	1,776
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	66
दिल्ली	16,356
गोवा	596
गुजरात	13,400
हरियाणा	8,400
हिमाचल प्रदेश	578
जम्मू और कश्मीर	1,009
झारखंड	1,515
कर्नाटक	16,954
केरल	6,477
लद्दाख	18
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	5,211
महाराष्ट्र	28,511
मणिपुर	185
मेघालय	63
मिजोरम	44
नागालैंड	88
ओडिशा	2,828
पुदुच्चेरी	167
पंजाब	1,775
राजस्थान	5,688
सिक्किम	13

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
तमिलनाडु	10,814
तेलंगाना	8,437
त्रिपुरा	147
उत्तर प्रदेश	15,360
उत्तराखंड	1,300
पश्चिम बंगाल	5,267
कुल	1,61,150

अनुबंध-II

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1950 के भाग (क) और (ख) तथा (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य सहित डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों द्वारा पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों (स्व-संसूचित) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और 31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024	31 जनवरी 2025 तक सृजित कुल प्रत्यक्ष रोजगार (स्व-संसूचित)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	72	71	85	137	485
आंध्र प्रदेश	3,059	2,419	3,062	5,750	5,259	24,490
अरुणाचल प्रदेश	0	31	55	185	252	657
असम	935	1,447	2,623	3,350	3,418	14,435
बिहार	2,369	3,230	4,692	9,061	7,378	30,610
चंडीगढ़	426	1,050	898	1,324	875	5,557
छत्तीसगढ़	1,169	1,943	2,214	3,239	4,774	16,749
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	31	136	147	138	144	745
दिल्ली	20,442	24,298	31,880	38,483	29,948	196,751
गोवा	384	523	887	824	879	4,476
गुजरात	9,625	18,074	23,944	48,214	35,834	158,336
हरियाणा	13,237	10,836	13,849	26,115	23,232	111,716
हिमाचल प्रदेश	283	346	1,029	1,089	969	4,453
जम्मू और कश्मीर	489	816	1,306	2,437	2,164	8,284
झारखंड	1,458	1,479	1,924	3,525	3,125	13,237
कर्नाटक	29,640	21,788	24,898	35,273	28,795	195,147
केरल	5,832	7,761	10,345	11,788	10,267	57,326
लद्दाख	3	3	52	44	31	139
लक्षद्वीप	7	0	0	31	0	38
मध्य प्रदेश	3,713	6,757	11,748	12,238	10,353	53,343
महाराष्ट्र	35,751	41,754	52,143	65,199	57,505	317,801
मणिपुर	133	409	309	195	385	1,606

मेघालय	0	120	61	157	106	489
मिजोरम	2	15	106	79	86	368
नागालैंड	32	86	71	239	3,697	4,180
ओडिशा	2,463	4,136	4,632	6,532	10,797	34,219
पुदुच्चेरी	73	205	237	568	213	1,713
पंजाब	1,792	4,418	2,319	4,983	3,527	20,309
राजस्थान	5,546	5,864	11,639	13,748	11,372	57,986
सिक्किम	2	39	22	8	0	88
तमिलनाडु	9,234	10,370	18,147	30,620	26,223	113,485
तेलंगाना	10,532	10,859	15,081	18,509	16,615	93,864
त्रिपुरा	765	103	202	193	313	1,932
उत्तर प्रदेश	17,640	20,831	23,181	33,992	34,807	155,499
उत्तराखंड	762	1,754	1,684	2,401	7,331	16,051
पश्चिम बंगाल	3,741	7,344	9,462	11,565	11,110	53,041
कुल	181,602	211,316	274,920	392,181	351,921	17,69,605
